

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2015—पौष 24, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

क्र. एफ-16-1-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 07 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 77 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(2) किसी मतदान केन्द्र के लिए मतों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 में परिणाम-पत्र के भाग एक में प्रविष्टियां करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित करेगा.”

(2) नियम 80 में, उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम, स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(8) उप-नियम (7) के अधीन परिणाम-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य के किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्राप्त मतों की कुल संख्या की प्रविष्टि क्रमशः प्ररूप 16, 17, 18 एवं 19 के पश्चात्पूर्वी भाग अथवा भागों में करेगा या करवाएगा और परिणाम-पत्र को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षर करेगा.”

(3) प्ररूप 16 में,—

(एक) शब्द “पंचायत निर्वाचन” के स्थान पर शब्द “पंचायत निर्वाचन भाग-एक” स्थापित किया जाए, और

(दो) वर्तमान प्ररूप 16 के नीचे निम्नलिखित नवीन प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

### पंचायत निर्वाचन

भाग-दो  
खण्ड स्तरीय

“प्ररूप-16

[नियम 77 (2) देखिए]

ग्राम पंचायत ..... के वार्ड क्रमांक ..... से पंच के निर्वाचन के मतों की गणना के परिणाम  
सम्मिलित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या ..... खण्ड .....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या					योग
		मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज) मतों की कुल संख्या .....

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

मतगणना का स्थान .....

तारीख .....

.....  
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/  
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा  
प्राधिकृत अधिकारी.



(2) In rule 80, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(8) The Returning officer, on receipt of result sheets under sub-rule (7) shall enter or cause to be entered the total number of votes polled by each candidate contesting for a seat of Panch, Sarpanch, member of Janpad Panchayat or member of Zila Panchayat at each polling station of the concerned constituency in subsequent part or parts of form 16, 17, 18 and 19 respectively and complete and sign the result sheet.”;

(3) In Form 16,—

(i) for the words “Panchayat Nirvachan” the words “Panchayat Nirvachan PART-ONE” shall be substituted; and

(ii) below existing Form-16, the following new Form shall be inserted, namely:—

“FORM - 16  
[See Rule 77 (2)]

Panchayat Nirvachan  
PART-TWO  
BLOCK LEVEL

Result of counting of votes for election of Panch Ward No. . . . . of Gram Panchayat . . . . .

Total Number of Polling stations included. . . . .Block. . . . .

Serial No.	Name of Candidate	Valid Votes Casted in Favour of Candidate					Total
		Polling Station Number. . . .	Polling Station Number. . . .	Polling Station Number. . . .	Polling Station Number. . . .	Polling Station Number. . . .	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(a) Total No. of valid Votes . . . . .

(b) Total No. of Rejected Votes. . . . .

(c) Total No. of Votes Polled. . . . .

Place of Counting. . . . .

Date. . . . .

Returnng Officer (Panchayat)/  
Officer authorized by  
Returning Officer (Panchayat)

